न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 23/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी मैसर्स–शिव एजेन्सीज हाल जडाव फाटक के पास भालका का बास दौसा, जडाव फाटक के पास भालका का बास दौसा विक्रेता।
2. श्री हरीश कुमार जसोरिया मैसर्स जसोरिया फूड एण्ड स्पाईसेज जी–99–100 एग्रोफूड पार्क एमआई ए अलवर निवासी 107 साउथ वेस्ट ब्लॉक अलवर राज0 निर्माता।

–अभियुक्तगण –

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक 31.1.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 25.08.2015 को सायंकाल 4:15 बजे मैसर्स शिव एजेन्सीज हाल जडाव फाटक के पास भालका का बास दौसा, जडाव फाटक के पास भालका का बास दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाइसेन्स वर्ष 2015 का नहीं होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक प्लास्टिक के कट्टे में एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) के 50 पैकिट पॉलीपैक 500 ग्राम वजनी आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे में मिलावट का शक होने पर इनमे से 4 पॉलीपैक पैकिट 500 ग्राम वजन के नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 250 रू. नकद देकर बिल प्राप्त किया। जो संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ. बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) के मूल पॉलीपैक पर चिपकाकर पॉलीपैक को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर उन पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1150 गोंद से उपर से नीचे चिपकाकर पैकिटों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटों को चार–चार जगह उपर नीचे व साइडों में से चपडी से सील मोहर कर पैकिटों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप व खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सीलबंद पैकिटों को अपने कब्जे में किया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकार उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, मुख्यालय द्वारा दिनांक 26.8.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये। जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.08.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.8.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2116/एक्ट/2015/1382 दिनांक 08.10.2015 डी.ओ. एवं सीएमएचओ दौसा के जरिये प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) का नमूना मिसब्रांड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में अंकितानुसार **PRINTED ON POLY ALUMINIUM BAG Chilli in this package contains & admisture of not more than 2% of edible mustard oil WHICH IS NOT AS PER REGULATION so Contravention of Regulationa No, 2.4.5(12) of Food Safety and Standards (Packaging and labelling) Regulations, 2011** अंकित करते हुये उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) का नमूना मिसब्राण्ड होना बताया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गयी है और न ही उक्त खाद्य पदार्थ हानिकारक है। उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) के लेबल पर प्रिन्ट करते समय and के स्थान पर & गलती से प्रिन्ट हो गया है तथा इस गलती में अब सुधार कर लिया जाना व्यक्त करते हुये प्रकरण को ड्रोप फरमाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2116/एक्ट/2015/1382 दिनांक 08.10.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री हरीश कुमार जसोरिया मैसर्स जसोरिया फूड एण्ड स्पाईसेज जी–99–100 एग्रोफूड पार्क एमआई ए अलवर निवासी 107 साउथ वेस्ट ब्लॉक अलवर राज0 निर्माता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क लाल मिर्च पाउडर (M-Pure) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री हरीश कुमार जसोरिया मैसर्स जसोरिया फूड एण्ड स्पाईसेज जी–99–100 एग्रोफूड पार्क एमआई ए अलवर निवासी 107 साउथ वेस्ट ब्लॉक अलवर राज0 निर्माता पर 2000/– (अक्षरे दो हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 31.1.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.1.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/8040-43

दिनांकः– 31.1.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी मैसर्स–शिव एजेन्सीज हाल जडाव फाटक के पास भालका का बास दौसा, जडाव फाटक के पास भालका का बास दौसा विक्रेता।
4. श्री हरीश कुमार जसोरिया मैसर्स जसोरिया फूड एण्ड स्पाईसेज जी–99–100 एग्रोफूड पार्क एमआई ए अलवर निवासी 107 साउथ वेस्ट ब्लॉक अलवर राज0 निर्माता।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा